RTI CELL
(1) Received on 17514 Dated 22/7
(2) ...
(3) Postal Order ... 92E 228631 10
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

श्रीमान मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी,
रेल भवन , भारत सरकार ,
सचिवालय , नई दिल्ली ।

जनसूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र ।

महोदय,

निवेदन है कि जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना चाहता हूँ । आवश्यक सूचना शुल्क अदा किया जा रहा है । कृपया निम्न सूचना देने का कष्ट करें ।

प्रश्न 1:- यहकि नियमानुसार टिकट परीक्षक की डियूटी एक ट्रेन में कितने कोच की चेक करने की होती है तथा उक्त चेकिंग ट्रेन चलने के कितने देर के अन्तर्गत शुरू करनी चाहिए तथा कितनी देर में चेकिंग समाप्त कर लेनी चाहिए ।

प्रश्न 2:-यह कि किसी टिकट परीक्षक को ट्रेन में किसी रिश्तेदार या किसी मित्र द्वारा किसी व्यक्तिगत कार्य हेतु पैसा दिया जाता है और उक्त धनराशि के प्राप्त होने की सूचना यदि टिकट परीक्षक ने वी आई को दे दी है तो क्या उक्त अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही विभाग द्वारा की जा सकती है जबकि उक्त अतिरिक्त धनराशि के सन्दर्भ में कोई शिकायत किसी यात्री द्वारा नही की गयी है ?

TG V
OSD/TC
DFM

अतः निवेदन है कि उपरोक्त सूचना जनसूचना अधिकार 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

प्रार्थी

दिनांक: 11/07/2011

A. Nigam
(अनिल कुमार निगम)

पुत्र स्व० श्री बाबू राम निगम
133/188 ओ ब्लाक
किदवई नगर, कानपुर

संलग्न
Rs. 10/= पो० 40C 737220